निर्णय न्यायालय सुश्री वर्षा मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
19 /2020	12.2.2020	30.9.2020

श्रीमति रीना पुत्री पंखीलाल पत्नि मुकेश जाति मीना निवासी मीना बडौदा हाल निवासी बरतीखेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली

--प्रार्थिया

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार वजीरपुर।

---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट प्रार्थिया की और से

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया हे कि प्रार्थिया व उसके भाई गजेन्द्र,राजमोहन,लोकेश,पिसरान पंखीलाल व माताजी गोलमा देवी बेवा पंखीलाल तथा बहन पिन्टो बाई, भूरी बाई जाति मीना निवासी मीना बडौदा की सहखातेदारी की भूमि हाल खसरा न0 1791रकवा 0.89 है0,खसरा न0 1793रकवा 0.47 है0,खसरा न0 1800 रकवा 0.32 है0 खसरा न0 2131/2025 रकवा 1.00 है0 ग्राम मीना बडौदा तहसील वजीरपुर में स्थित हे लेकिन विरासत का जो नामान्तकरण संख्या 965 दिनांक 5.12.2015 को तस्दीक किया गया उसमें प्रार्थिया का नाम गलती से टीना दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थिया का सही नाम रीना है तथा समस्त रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम रीना दर्ज है। इसलिए उक्त गलती की दुरुस्ती की जावे। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थिया द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2069–2072 फोटोप्रति राशनकार्ड व फोटोप्रति आधारकार्ड पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी तहसीलदार वजीरपुर ने दिनांक 16.3.2020 को अपने पत्र कमांक 144 के जरिये मौका रिर्पोट पटवारी पेश की । बहस वकील प्रार्थिया सुनी गई। वकील प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी ने पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व रिर्पोट पटवारी व तहसीलदार का अवलोकन किया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2069–71व जमाबन्दी संवत् 2073–2076 का एवं प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत राशनकार्ड, आधारकार्ड, का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि जमाबन्दी में प्रार्थिया का नाम टीना बाई दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेज

आधारकार्ड, राशनकार्ड, में उसका नाम रीना दर्ज है जिसकी पुष्टि हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा की गई है। तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार टीना बाई पुत्री पंखी के स्थान पर रीना पुत्री पंखी किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम मीना बडौदा तहसील वजीरपुर की जमाबंदी सं0 2073 से 2076 के खाता संख्या 64 में दर्ज नाम टीना बाई को हजफ कर उसके स्थान पर रीना पुत्री पंखी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खाता संख्या 64 की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावें।

पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.9.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट (स0मा0)

(सुश्री वर्षा मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर